"विज्ञप्ति"

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 62/XXIII- 1/2021/04(01)/2021 देहरादून दिनांक 30 .01. 2021 के अन्तर्गत घोषित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2021– 22 एवं शासन के पत्र संख्या 98/XXIII-1/2021/04(01)/2021 दिनांक 12.02.2021 एवं प्रचलित आबकारी नियमो मे दी गई व्यवस्था के कम मे विदेशी मदिरा दुकान अल्मोड़ा न0–2 का पुर्नव्यवस्थापन किया जाना है। जिसके लिए निम्नवत् कार्यकम के अनुसार समस्त उत्तराखण्ड के निवासी इच्छुक पात्र आवेदको से निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय मे आवेदन आमन्त्रित किये जाते है:–

क0स0	विवरण	स्थान दिनांक व समय
01	निर्धारित पूर्ण राजस्व पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि /समय	दिनांक 09.05.2022 को 12:00 बजे तक कार्या0 जिला आबकारी अधिकारी अल्मोडा मे।
02	आवेदन पत्र परीक्षण का समय	दिनांक 09.05.2022 को 12:00 बजे से 12.30 बजे तक
03	प्राप्त आवेदन– पत्रो पर लाटरी प्रकिया का समय	दिनांक 09.05.2022 को 1.00 बजे से 2.00 बजे तक
04	पूर्ण राजस्व पर आवेदन– पत्र प्राप्त न होने की दशा मे अधिकतम राजस्व ऑफर/ प्रस्ताव पर सील बन्द लिफाफे मे आवेदन प्रस्तुत करने का समय	दिनांक 09.05.2022 को 2.30 बजे तक
05	ऑफर/प्रस्ताव खोले जाने का समय	दिनांक 09.05.2022 को 3.00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय अल्मोडा।

पुर्नव्यवस्थापन हेतु निर्धारित राजस्व का विवरण।

क0 स0	दुकान का नाम	प्रकार	अवशेष अवधि हेतु कुल राजस्व	अनु0 शुल्क	कुल अधिभार	प्रतिभूति की धनराशि	धरोहर धनराशि	हैसियत की धनराशि
1	अल्मोडा न0– 2	दे0म0	106725256	1067000	105658256	8804855	2668131	10672526

उपरोक्त मदिरा की दुकान हेतु इच्छुक पात्र आवेदको को निर्धारित प्रारुप मे आवेदन पत्र, शपथ पत्र, पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड) हैसियत प्रमाण पत्र जी–39 प्रारूप मे, निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, आवेदन शुल्क रू0 50,000 का बैक ड्राफ्ट (नॉन रिफन्डेबल) जो जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा के पक्ष मे देय हो जमा करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों/ऑफर पर जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित आवेदक/ऑफर दाता से निगोशिएशन उपरान्त अधिकतम प्राप्त राजस्व ऑफर पर दुकान का व्यवस्थापन किया जायेगा।

दुकान के आवंटन के सम्बन्ध मे अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेस प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। दुकान आवंटन होने के पश्चात आवंटी को निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करने के साथ निर्धारित समस्त औपचारिकतायें यथा समय अनिवार्य रूप से पूर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त दुकान के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी विभागीय बेबसाइट www.uttarakhandexcise.org.in अथवा www.uk.gov.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी
अल्मोडा।

कार्यालयः जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा।

संख्याः 72 /पॉच आवकारी /पुर्न व्यवस्थापन/दे0/वि0म0/दुकान/अल्मोडा/2021– 22/दिनांक अप्रैल 30 ,2022

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, महोदया, अल्मोड़ा।
3. संयुक्त आवकारी आयुक्त, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. उप आवकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय देहरादून को इस अनुरोध कें साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वैवसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. आवकारी निरीक्षक, क्षेत्र– 01, जनपद अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अव्यवस्थापित मदिरा दुकानो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कर दुकान का पुर्नव्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें।
6. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान /दैनिक आज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम सरकारी दर पर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में दिनांक 01.05.2022 के संस्करण में प्रकाशित कर बिल कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

30/04/22

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।

Scanned by CamScanner